न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 73 / 2020 (उदयपुर डिक्री)

दिनेश जैन पिता श्री एम.एल. जैन, निवासी 701–702, गोकुल ब्रिज, न्यू स्वपनिल कान्तिनगर, जे.बी. नगर, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई – 400059

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती घेर कंवर पत्नी रामसिंह सोलंकी, निवासी 34 ए–बी, श्रीराम नगर, सेक्टर नंबर 14, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती बदामी बाई पत्नी श्रवणनाथ चौहान, निवासी आवरी माता, कच्ची बस्ती, उदयपुर (राज.)
3. नरेन्द्र कुमार पिता स्व. श्री चुन्नीलाल पोरवाल, निवासी 3–बी, हजारेश्वर कॉलोनी, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व. श्री गोपीलाल जैन पत्नी बसन्त कुमार पोरवाल, निवासी 3–बी, हजारेश्वर कॉलोनी, उदयपुर (राज.)
5. जयन्त पिता श्री एम.एल. जैन, निवासी मनोज दर्शन कान्ति नगर, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई (महाराष्ट्र)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
12.02.2020 प्रकरण संख्या 47 / 2018

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभि.रे.सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 10–10–2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:16 IST
Reason: SelfAttested

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मौजा नेला, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 1287, 1297, 1298, 1300 कुल किता 4 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादिया संख्या 1 का 0.1000 हैक्टर हिस्सा एवं वादिया संख्या 2 का आराजी नंबर 1298 व 1297 कुल रकबे में 0.0250.72 हैक्टर हिस्सा जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 अनुसार निहित होकर वादिया का कब्जा है। मौके पर सहखातेदारों के मध्य मौखिक बंटवारा होकर इसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है, जिससे प्रतिवादीगण दखलन्दाजी करें हैं। अतः उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–02–2020 से वादिया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें तामिल कराये बिना उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानाकरी पटवारी हल्का से होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है न ही विधिक तौर पर अपीलान्ट की तामिल करायी गयी है तथा जल्दबाजी में अखबार में प्रकाशन कर दिये, जबकि अखबार में प्रकाशन तभी कराया जाता है जब प्राथमिक [illegible]के से तामिल नहीं हो पाये। प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:16 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट का पता ही गलत अंकित किया गया है और गलत पते पर ही सीधे अखबार में प्रकाशन करवा अपीलान्ट की तामिल मान ली गयी है, जिससे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। विवादित आराजीयात से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं है न ही मौके पर उनका कब्जा नहीं है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन का फायदा उठाकर वादिया ने वाद डिक्री करवा लिया। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद की कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी, न ही उसे कोई सम्मन प्राप्त हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी नंबर 1287 रकबा 0.2250 हैक्टर में वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का 400/2250, आराजी नंबर 1298 रकबा 0.0900 हैक्टर में 600/1650 हिस्सा तथा आराजी नंबर 1300 रकबा 0.0750 हैक्टर में में 600/1650 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार उक्त जमाबन्दी में 1297 रकबा 0.0600 हैक्टर में वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 का 73/600 हिस्सा तथा आराजी नंबर 1298 रकबा 0.0900 हैक्टर में 225/1650 हिस्सा दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय वादिया राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजियात की सहखातेदार होने से उसका वाद स्वीकार कर बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12–02–2020 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:16 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰ ....

दिनेश जैन पिता श्री एम.एल. जैन, नि0 701–702, गोकुल ब्रिज, न्यू स्वपनिल, कान्तिनगर, जे.बी.नगर, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई

बनाम

श्रीमती घेर कंवर पत्नी श्री रामसिंह जी सोलंकी, निवासी 34–ए–बी, श्रीराम नगर सेक्टर 14, हिरणमगरी, उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....73 / 2020........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....गिर्वा .... मुकाम................मुवर्खे..........12.............माह...............02..................2020..........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........10..........माह.............10.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी..............श्री नरेन्द्र सोनी .... मिनजानिब अपीलान्ट व...............श्री नरपतसिंह चुण्डावत

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12–02–2020 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X.........)..........रूपये .... X.......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............10.............माह............10..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:16 IST
Reason: SelfAttested